न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 446/2017 जीसीएमएस संख्या 2017/00462

1. श्री शिवकरण पुत्र श्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम ड्योढ़ी चौड़, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
2. श्री नानगराम पुत्र श्री मोती, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी शिव कॉलोनी, प्लाट नम्बर 16, बाल्टी फेक्ट्री के सामने आगरा रोड़, जयपुर ।
3. श्री शंकरलाल पुत्र श्री मोती जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी प्लाट नम्बर 33, बजरंग विहार, दुर्गापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र काना (मृतक दौराने अपील)

1/1. मु० गंगादेवी बेवा स्व. श्री रामबाबू पुत्रवधु स्व. श्री गोपीलाल

1/2 मु० द्वारका धर्मपत्नी स्व. श्री ज्वाला प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामबाबू

1/3. मनीष पुत्र स्व. श्री ज्वाला प्रसाद पौत्र स्व. श्री रामबाबू

1/4. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री ज्वाला प्रसाद पौत्र स्व. श्री रामबाबू

1/5. चन्द्रकान्ता पुत्री स्व. श्री ज्वालाल प्रसाद पौत्री स्व. श्री रामबाबू समस्त जातियान ब्राह्मण, निवासी ग्राम ड्योढी चौड़, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

1/6. श्रीमती शान्ती देवी पुत्री स्व. श्री गोपीलाल पत्नी श्री मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नम्बर–6, चन्द्र नगर, आगरा रोड़, जयपुर ।

2. प्रभुदयाल पुत्र गोपी
3. रामकरण पुत्र रामबाबू
4. ज्वाला प्रसाद पुत्र रामबाबू (मृतक दौराने अपील) नाम हजफ
5. रमेश पुत्र रामबाबू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेण्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर दिनांक 18–12–2002

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त सोगानी वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेश शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 5 की ओर से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –03.04.2024

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 07.11.2017 से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर उभयपक्ष को विधिवत सुनते हुये प्रकरण में विधिक, परीक्षण उपरान्त न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2002 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री शिवकरण पुत्र श्री रामनारायण वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2002 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नं. 127 रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा मौजा डयोढा तहसील बस्सी जिला जयपुर रिकार्डेड खातेदार में से नानगराम एवं शंकरलाल अपीलान्ट नम्बर 2 व 3 ने अपीलान्ट नं. 1 शिवकरण को दिनांक 27–12–2001 को रजिस्टर्ड बैयनाम द्वारा 3/16 भाग का विक्रय कर दिया व कब्जा शिवकरण क्रेता को दे दिया, तहसीलदार बस्सी ने बाद जांच नामान्तरकरण क्रेतागणों के नाम कर दिया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ला0 5 ने तहसीलदार के यहॉ आपत्ति पेश करकन्टेस्ट किया लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ला0 5 के आपत्ति को न मानते हुये नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 07–1–2002 को नामान्तरकरण क्रेतागणों के नाम से तस्दीक कर दी जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर में अपील पेश की जिन्होने दिनांक 18–12–2002 को अपील मंजूर करके नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया । रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगात 5 ने अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज जयपुर कोर्ट नम्बर 2 अदालत से मुकदमा नम्बर 1/2002 दिनांक 04–1–2002 को पेश करके दिनांक 05–1–2002 को स्थगन आदेश प्रदान किया एवं आदेश दिया गया कि उक्त आराजीयात अपीलांट विक्रय न करे, जबकि वैयनापा स्थगन आदेश से पूर्व दिनांक 27–12–2001 का था। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश स्वतः ही तथ्यहीन हो जाता है रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 रामकरण सरपंच है, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने तहसीलदार बस्ती के समक्ष उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने के समय उपस्थित हुये, नकले पेश को, कन्टेस्टेड केस था ऐसी सूरत मैं अदालत अतिरिक्त कलेक्टर कोर्ट को अपील सुनने के अधिकार नहीं थे इस कारण से अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर का निर्णय अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने के काबिल है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 के कोई रजिस्टर्ड बैयनामा नहीं हुआ, इकरारनामा फर्जी है, इकरारनामा के बिनाह पर कोई नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण कानूनी तरीके से तस्दीक हो चुका है लेकिन माननीय अदालत मातहत ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज फरमाकर तथ्यों पर गौर किये बिना एवं मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना ही अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2002 को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 07.01.2002 निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों

संभागीय आयुक्त

के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर दिनांक 18.12.2002 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 127 के अपीलांट एवं रेस्पाडेन्टस संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलांट नं. 2 का उक्त आराजी में 1/16 हिस्सा है, किन्तु 3/16 हिस्से का बेचान अपीलांट संख्या 1 के हक में कर दिया और उसी के आधार पर नामान्तरकरण भी बिना राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये तस्दीक कर दिया गया, जो गलत है। विवादग्रस्त आराजी के बावत अपर जिला न्यायाधीश, क्रम – 2, जयपुर जिला जयपुर के न्यायालय से दिनांक 05–1–2002 को स्थगन था, किन्तु स्थगन के बावजूद तहसीलदार, बस्सी ने स्थगन की सूचना होने के बावजूद भी उक्त कार्यवाही की है। नामान्तरकरण की कार्यवाही 45 दिन तक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, किन्तु तहसीलदार, बस्सी ने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर नामान्तरकरण खोलने में भूल की है और वह भी पक्षकारान को बिना नोटिस दिये व सुनवाई किये की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार तहसीलदार बस्सी ने नामान्तरकरण के सम्पूर्ण नियमों का उल्लंघन कर एवं बगैर जांच किये नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने में गहन कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.06.2003 को उक्त नामान्तरकरण विवादित होने से एडमिशन स्तर पर ही अपील स्वीकार करने के आदेश दिये गये थे। तत्पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल में उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर उभयपक्ष को विधिवत सुनते हुये प्रकरण में विधिक, परीक्षण उपरान्त न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर उभयपक्षों की बहस पर मनन करने पर जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 07.01.2002 को लेकर है। रेस्पोडेण्ट्स का कथन है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा पक्षकारान् को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये एवं अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर के स्थगन होने के बाबजूद भी नामान्तरकरण संख्या 198 को तस्दीक किया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि चूंकि अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर का उक्त आराजीयात के संबंध में दिनांक 05–1–2002 को स्थगन था, किन्तु स्थगन के बावजूद तहसीलदार, बस्सी ने स्थगन की सूचना होने के बावजूद भी दिनांक 07.01.2002 को उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही पक्षकारों की सुनवाई किये बिना ही की है। जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.12.2002 को रेस्पोडेण्ट की अपील स्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित व विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का निर्णय दिनांक 18.12.2002 में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का निर्णय दिनांक 18.12.2002 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर